विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
(UNIVERSITY EDUCATION COMMISSION-1948-49)

राधाकृष्णन *आयोग*, जिसे औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के नाम से जाना जाता है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा नव स्वतंत्र भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली का आकलन, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, संरचना की जाँच और सुधार करना तथा तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देने के लिए की गई थी। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था । यह आयोग 4 नवंबर, 1948 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने **25 अगस्त, 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी** । प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के भावी राष्ट्रपति **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित** इस आयोग ने भारत की आधुनिक उच्च शिक्षा संरचना की नींव रखी इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। राधाकृष्णन *आयोग ने* **पूर्व की खंडित संरचना को प्रतिस्थापित करते हुए 12 वर्षीय पूर्व-विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की** सिफारिश की । इस सिफारिश ने **10+2+3 शिक्षा मॉडल** की नींव रखी , जो बाद में भारत की शैक्षणिक संरचना में मानक प्रारूप बन गया।

आयोग के प्रमुख उद्देश्य (Objectives)

- **शिक्षा का पुनर्गठन**: विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करना ताकि यह राष्ट्रीय विकास, व्यक्तिगत विकास और वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।
- **कुशल नेतृत्व तैयार करना**: ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सकें।
- **नैतिक और बौद्धिक मूल्यों का विकास**: विद्यार्थियों में नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक मूल्यों का संचार करने का प्रयास करना।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना**: विद्यार्थियों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करना और उन्हें बनाए रखना।
- **अनुसंधान और ज्ञान को बढ़ावा देना**: नए ज्ञान की निरंतर खोज करना और अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ाना।
- **व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को एकीकृत करना**: शैक्षणिक शिक्षा और व्यावहारिक, रोज़गारपरक कौशल के बीच के अंतर को पाटने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल करना।
- **ग्रामीण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना**: कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश करना।
- **शिक्षण मानकों में सुधार**: शिक्षण कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार करना और शिक्षण विधियों का मानकीकरण करना।

संक्षेप में, आयोग का लक्ष्य एक मजबूत और समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जिम्मेदार नागरिक, कुशल पेशेवर और प्रबुद्ध व्यक्ति तैयार करना था।

जाँच के विषय (Terms of References)

1. तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना ।
2. प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना ।
3. उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना ।
4. उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना ।
5. विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना ।
6. विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना ।
7. शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना ।
8. शिक्षा के माध्यम, अवधि और पाठ्यचर्या के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना ।

राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें
(Main recommendations of Radhakrishnan Commission)

1. शिक्षा के लक्ष्य (Aims of Education)
2. शिक्षण संकाय (Teaching faculty)
3. शिक्षण का स्तर (Standards of teaching)
4. विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त (Administration and finance of the universities)
5. विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन (Organization and structure of university education)
6. व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)
7. धार्मिक शिक्षा (Religious education)
8. उच्च शिक्षा का माध्यम (Medium of higher education)
9. परीक्षाएं (Examination)
10. विद्यार्थी कल्याण और उनकी गतिविधियां (Student welfare and their activities)
11. स्त्री शिक्षा (Women education)
12. ग्रामीण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय (Rural universities and colleges)

1. शिक्षा के लक्ष्य

1. लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना
2. आत्म-विकास के लिए प्रशिक्षण देना
3. वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना ।
4. व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना ।
5. अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना ।

2. शिक्षण संकाय

1. आयोग के अनुसार शिक्षकों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाए- प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता, और प्रशिक्षक ।

2. योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरे में पदोन्नति की जाए ।
3. आयोग ने चारों श्रेणियों के शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा शर्तों की सिफारिश की।
4. शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए ।
5. शिक्षकों को अध्ययन के लिए एक बार में एक वर्ष का और सम्पूर्ण सेवाकाल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए ।
6. सेवा से अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए ।

3. शिक्षण का स्तर

1. विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे सम्बंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्यां नहीं होनी चाहिए ।
2. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
3. कार्य दिवसों की संख्या- **एक साल में 180 (परीक्षा के दिनों को छोड़कर)** ।
4. अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
5. सांयकालीन कक्षाओं का आरम्भ किया जाना चाहिए ।
6. परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40 प्रतिशत होने चाहिए ।

4. विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त

1. उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए । केंद्र और राज्य सरकारों की इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ।
2. शिक्षा से सम्बंधित नीतियाँ बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेंगी।
3. विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए ।

5. विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन

1. उच्च शिक्षा तीन स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए – स्नातक (3 वर्ष), स्नातकोत्तर (2 वर्ष) और शोध (न्यूनतम 2 वर्ष) ।
2. उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए- कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी ।
3. कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग-अलग विभाग खोले जाने चाहिए।
4. कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए ।

6. व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे छह श्रेणियों में बांटा है जो नीचे दिए गए हैं:

1. शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)
2. कृषि शिक्षा (Agriculture Education)
3. वाणिज्य शिक्षा (Commerce Education)
4. इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा (Engineering and Technical Education)
5. चिकित्सा शिक्षा (Medical Education)
6. कानूनी शिक्षा (Education of Law)

7. धार्मिक शिक्षा

7. धार्मिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों में धार्मिक कट्टरता को खत्म करना और सभी धर्मों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था ।

1. डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सुकरात, यीशु, शंकर, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी आदि विश्व के प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन और उनके कार्यों के विषय में विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए
2. डिग्री कोर्स के दूसरे वर्ष में, विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से सार्वभौमिक महत्व के कुछ चुने हुए भाग पढ़ाएँ जाने
3. डिग्री कोर्स के तीसरे वर्ष में, धर्म-दर्शन की मुख्य समस्याएं पढ़ाई जानी चाहिए।

8. उच्च शिक्षा का माध्यम

वैश्विक संचार और अनुसंधान तक पहुंच के महत्व को पहचानते हुए, ***राधाकृष्णन आयोग ने*** **उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बनाए रखने पर जोर दिया ।** आयोग ने अंग्रेजी को अकादमिक उत्कृष्टता के लिए, विशेष रूप से विज्ञान, कानून और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अत्यंत महत्वपूर्ण माना। साथ ही **संघीय और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए** आयोग ने निम्नलिखित की सिफारिश की:

- जहां **संघीय (आधिकारिक) भाषा मातृभाषा** से भिन्न हो , वहां शिक्षा का माध्यम वही होना चाहिए।
- **छात्रों को शास्त्रीय या आधुनिक भारतीय भाषा** सीखनी चाहिए , जिससे सांस्कृतिक निरंतरता और भाषाई समावेशिता सुनिश्चित हो सके।

राधाकृष्णन *आयोग* ने भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने वाले **बहुभाषी शिक्षा मॉडल** की वकालत की ।

9. परीक्षाएं

1. आयोग ने विश्वविद्यालयों की परीक्षा-प्रणाली को सबसे अधिक दोषपूर्ण पाया और इस सम्बन्ध में सुझाव दिए ।
2. तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात् न लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए।
3. विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं का सेट तैयार किया जाना चाहिए ।

4. परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः **70, 55 और 40 प्रतिशत होने चाहिए।** विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में रियायती अंक देने की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए ।

10. विद्यार्थी कल्याण और उनकी गतिविधियां

1. सभी विश्वविद्यालयों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए ।
2. गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
3. दो वर्ष की शारीरिक शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य की जानी चाहिए।
4. सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ।
5. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ का गठन होना चाहिए लेकिन इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए ।
6. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ताकि छात्र कल्याण कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित किया जा सके।
7. विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए खेल के मैदानों और व्यायामशालाओं की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एन.सी.सी. की स्थापना की जानी चाहिए और विद्यार्थियों को उसका सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

11. स्त्री शिक्षा

1. महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन, घरेलू अर्थशास्त्र और पोषण शामिल होना चाहिए ।
2. महिलाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें अच्छी माँ और अच्छी गृहिणी बनाना होना चाहिए ।

13.ग्रामीण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय

इस सिफारिश के अंतर्गत **शांतिनिकेतन** (रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित) और **जामिया मिलिया इस्लामिया** से प्रेरित होकर **ग्रामीण विश्वविद्यालयों** की स्थापना थी ।

1. ग्रामीण शिक्षा के उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाना चाहिए।
2. एक ग्रामीण महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।
3. ग्रामीण विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
4. ग्रामीण विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना चाहिए ।
6. कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए ।
7. आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देना चाहिए ।

राधाकृष्णन आयोग के बाद उठाए गए कदम

राधाकृष्णन आयोग का सबसे क्रांतिकारी सुझाव उच्च शिक्षा के समन्वय और विनियमन के लिए **एक राष्ट्रीय निकाय का गठन** था । इसी के परिणामस्वरूप **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना हुई** । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने *राधाकृष्णन आयोग की* सिफारिशों को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है । **इसकी स्थापना 1953 में** शुरू में एक सलाहकार निकाय के रूप में हुई थी।

- इसे 1956 में यूजीसी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- UGC को निधि आवंटित करने, मानक निर्धारित करने और विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करने का अधिकार प्राप्त है।
- विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का मानकीकरण
- अनुसंधान, नवाचार और संकाय विकास के लिए समर्थन
- निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का विनियमन

राधाकृष्णन आयोग की दूर दृष्टि के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप, यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा प्रशासन की रीढ़ बन गया।

राधाकृष्णन आयोग का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव

(Impact on Radhakrishnan Commission)

भारत के ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर होने के साथ-साथ, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई हैं। स्वतंत्रता के बाद की जरूरतों के लिए शिक्षा को सुलभ और प्रासंगिक बनाया।

- ग्रामीण और क्षेत्रीय आयामों को राष्ट्रीय चर्चा में शामिल किया।
- आधुनिक और पारंपरिक शैक्षिक आदर्शों का संतुलन ।
- भारत के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार किया।
- 1953 में यूजीसी का गठन हुआ और 1956 में उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए इसे स्वायत्त दर्जा दिया गया।
- 1954 में सरकार ने एक ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की और ग्रामीण शिक्षा का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी ।
- इस आयोग के सुझाव पर कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण के स्वतंत्र महाविद्यालयों की स्थापना हुई ।
- इस आयोग के सुझाव पर अधिकांश विश्वविद्यालयों ने 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम, दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की शुरुआत की।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यलयों में एनसीसी (1948) और एनएसएस (1969) की शुरुआत की गई ।
- विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाये गए और उनकी सेवा की स्थिति में सुधार हुआ ।
- विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र कल्याण कार्यक्रम (जैसे हॉस्टल, कैंटीन, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि) शुरू हुई।

निष्कर्ष

राधाकृष्णन *आयोग* (1948-49) भारत की शैक्षिक प्रगति में एक मील का पत्थर था। इसने एक सशक्त, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार की। गुणवत्ता, भाषा विविधता, ग्रामीण समावेशन और संस्थागत प्रशासन पर इसके जोर ने भारत की उच्च शिक्षा को औपनिवेशिक अवशेषों से एक आधुनिक, प्रगतिशील प्रणाली में परिवर्तित करने में मदद की। लगभग आठ दशक बीत जाने के बाद भी, *राधाकृष्णन आयोग* के सिद्धांत भारत की शैक्षणिक और प्रशासनिक संरचनाओं में गहराई से समाहित हैं, जो अतीत के ज्ञान से प्रेरित होकर इसके भविष्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं।राधाकृष्णन *आयोग ने* **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** और **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** की वैचारिक नींव भी रखी , जिनमें से सभी ने समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को अपनाया है।